आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
26/9/19	**न्यायालय– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, श्री बंशीधर नगर।** **नमांतरण अपील वाद संख्या 03/2018–19** **संगीता देवी वनाम् चन्द्रमणी राम** **<u>आदेश</u>** अभिलेख अंतिम निस्तार हेतु उपस्थापित। प्रस्तुत वाद की कार्रवाही अंचल अधिकारी नगर उंटारी द्वारा नामांतरण वाद संख्या 251/17–18 में दिनांक 08.05.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। अपील आवेदन पत्र समय सीमा के बाद दायर किया गया है, जिसके लिए विद्वान अधिवक्ता के द्वारा धारा 5 के तहत विलम्ब दूर करने हेतु आवेदन पत्र देकर अपील आवेदन स्वीकार करने हेतु अनुरोध किया गया है। अपील आवेदन पत्र पर विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अपील आवेदन पत्र को अंगीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत की गई एवं निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख की मांग की गई। उभय पक्ष उपस्थित होकर अपना– अपना पक्ष प्रस्तुत किए एवं निम्न न्यायालय से मुल अभिलेख प्राप्त। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि अंचल अधिकारी नगर उंटारी द्वारा नामांतरण वाद सं0 251/17–18 में दिनांक 08.05.2018 को पारित आदेश गलत व वेबुनियाद एवं मनगढ़ंत है। बिना जॉच किये केवल कर्मचारी, अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर गलत ढ़ंग से नामांतरण कर दिया गया है। वास्तविकता यह है कि प्रश्नगत भूमि बबीता देवी की केवाला से खरीदी भूमि थी जिसका नामांतरण होकर लगान रसीद कट रही थी, इसके विरूद्ध प्रत्यर्थी ने बबीता देवी के नामांतरण के विरूद्ध श्रीमान के न्यायालय में अपील वाद सं0 04/2014–15 दायर किये थे, जिसमें सुनवाई के पश्चात् अपील आवेदन को खारिज कर दिया गया। पुनः प्रत्यर्थी ने व्यवहार न्यायालय में TS 111/16 दायर किया जो खारिज हो गया। 144 द.प्र.स. का भी मुकदमा चला था, जिसमें प्रत्यर्थी को उक्त भूमि पर जाने से निषेधित किया गया है। उक्त भूमि को बबीता देवी से अपीलार्थी संगीता देवी ने केवाला सं0 1358 से खरीद कर ली तथा नामान्तरण होकर लगान रसीद कट रही है। इस तथ्य को छुपाकर हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी को मेल में लाकर प्रत्यर्थी ने अपने नाम से नामांतरण स्वीकृत करा लिया। इस तथ्य की जानकारी दिनांक 22.06.2018 को अपीलार्थी को हुई । अपीलार्थी नेट से आदेश की प्रति निकाला एवं विलम्ब दुर करने के आवेदन के साथ अंचल अधिकारी के आदेश से विक्षुभ्द होकर अपीलार्थी निम्नांकित आधार पर अपील दायर कर रही है, जो दोहरा जमाबंदी हो गया है। अंचल अधिकारी ने प्रत्यर्थी के मेल में आकर गलत ढंग से नामांतरण स्वीकृत कर दिया। आम इस्तेहार या नोटिस निर्गत नहीं किया है। अपीलार्थी के दखल कब्जे की नामांतरण की अनदेखा कर प्रत्यर्थी के नामांतरण स्वीकृत कर दिया गया है। जो खारिज योग है। प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी ग्राम बम्बा के खाता सं0 31 प्लॉट संख्या 190,187 रकवा 0.37½ पर दायर किया गया है, अपील कालातीत होने के बाद दायर किया गया है। कोई अपील दायर करने के लिए निम्न न्यायालय से नकल प्राप्त कर मूल नकल के साथ अपील दायर किया जाता है परन्तु अपीलार्थी ने अंचल अधिकारी के आदेश का सच्ची प्रतिलिपि अपील आवेदन के साथ दाखिल नहीं किया गया	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश गई कारव बारे में टिप्प तारीख सहित
1	2	3

है। बिना **सच्ची प्रतिलिपि** के अपील अंगीकृत या स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वास्तविकता **यह है कि** प्रश्नगत भूमि केवाला सं0 2048 दिनांक 03.05.2013 से सुधीर सिंह पिता–**स्व0 गुप्तेश्वर** सिंह से खरीद किया है एवं दखल कब्जे में आए। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, **नगर उंटारी** के यहॉ अपील वाद संख्या 4/14–15 खारिज हो गया, तत्पश्चात **स्वत्ववाद दायर** किये जो अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थी की पैरवी नहीं लगाए इस कारण वाद **समाप्त किया** कर दिया गया। वाद को पूनर्जिवित करने हेतु व्यवहार न्यायालय **में पुनः आवेदन** दिया गया है। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के केवाला में वर्णित चौहदी **तथा रकवा भी भिन्न है**। अपीलार्थी के विक्रेता को स्वयं उनके पति ने केवाला कियें है **जबकि उनकी भूमि नहीं है**। अपीलार्थी बाद में केवाला कराकर अपील दायर की है, जो आवेदन **को वर्णित तथ्यों** को प्रत्यर्थी अस्वीकार करते हैं। प्रश्नगत भूमि पर खरीदगी **की तिथि से प्रत्यर्थी का दखल** कब्जा चला आ रहा है। अपीलार्थी के आवेदन को खारिज **करते हुए नामांतरण** वाद संख्या 251/17–18 का आदेश बहाल रखने हेतु अनुरोध किया है।

अपीलार्थी **के आवेदन** पत्र के आलोक में अंचल अधिकारी नगर उंटारी द्वारा एक विविध वाद संख्या 01/2018–19 **का अभिलेख** संधारित कर विधिवत जॉच पड़ताल कर नामांतरण वाद संख्या 251/17–18 में दिनांक 08.05.2018 को पारित आदेश में प्रत्यर्थी के नाम से कायम जमाबंदी को विलोपित करते हुए नामांतरण वाद को रद्द करने हेतु की अनुशंसा की गई है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं एवं उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत भूमि प्रत्यर्थी चन्द्रमणी राम का केवाला संख्या 2048 दिनांक 03.05.2013 का नामांतरण वाद संख्या 251/17–18 द्वारा ऑनलाईन किया गया है जबकि नामांतरण वाद संख्या 409/13–14 में चन्द्रमणी राम आपतिकर्त्ता का आपति खरिज किया जा चुका है। नामांतरण अपील वाद संख्या 4/14–15 में भी प्रत्यर्थी का आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा चुका है। पुनः प्रत्यर्थी का स्वत्ववाद सं0 111/2016 दिनांक 08.12.2017 को खारिज किया जा चुका है, अभिलेख के साथ संलग्न है। प्रत्यर्थी ने सभी तथ्यों को छुपाते हुए विधि व तथ्य के विरूद्ध नामांतरण वाद संख्या 251/17–18 की कार्रवाई प्रारम्भ कराई एवं आदेश अपने पक्ष में करा ली गई, यह आदेश यथावत रखने योग नहीं है। वर्त्तमान में अंचल अधिकारी द्वारा विविध वाद संख्या 01/18–19 में की गई अनुशंसा एवं अपीलार्थी के अपील आवेदन के आलोक में नामांतरण वाद संख्या 251/17–18 में दिनांक 08.05.2018 को अंचल अधिकरी नगर उंटारी के पारित आदेश को अपास्त किया जाता है, तथा अपीलार्थी का आवेदन पत्र स्वीकृत किया जाता है।

Seen.
Advocate
Adv for
Appellant
21.3.2020

लेखापित एवं संशोधित

24/9/19

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,
श्री बंशीधर नगर।

24/9/19

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,
श्री बंशीधर नगर।